UPLK010163522021

**<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।</u>**

**<u>सत्र वाद सं0 2067/2021</u>**

सरकार **बनाम** सर्वेन्द्र सिंह आदि

अ0सं0 229/2020
धारा–147,452,323,504,506 भा0द0सं0 एवं
धारा 3(1)ध, 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–निगोंहा, लखनऊ।

**<u>24–04–2025</u>**

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण अरविन्द सिंह, राकेश कुमार सिंह, हरिकेश सिंह, उमेश व सर्वेन्द्र कुमार सिंह मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147, 452, 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)ध, 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 22.05.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010163522021

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।**

**सत्र वाद सं0 2067 / 2021**

सरकार **बनाम** सर्वेन्द्र सिंह आदि

अ0सं0 229 / 2020
धारा–147,452,323,504,506 भा0द0सं0 एवं
धारा 3(1)ध, 3(2)5ए एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–निगोंहा, लखनऊ।

**आरोप**

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण अरविन्द सिंह, राकेश कुमार सिंह, हरिकेश सिंह, उमेश व सर्वेन्द्र कुमार सिंह को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅ :–

**प्रथमः** यह कि दिनांक 13.11.2019 व समय 18.30 बजे सुबह थाना निगोंहा, जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम नन्दौली में आप अभियुक्तगण अरविन्द सिंह, राकेश कुमार सिंह, हरिकेश सिंह, उमेश व सर्वेन्द्र कुमार सिंह एक साथ मिलकर एक विधि विरुद्ध जमाव कायम किया और उस जमाव ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सामान्य आशय से बल्वा किया, इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

**द्वितीयः** यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण अरविन्द सिंह, राकेश कुमार सिंह, हरिकेश सिंह, उमेश व सर्वेन्द्र कुमार सिंह ने वादी मुकदमा अमृत लाल के ऊपर उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् गृह–अतिचार किया। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 452 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

**तृतीयः** यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर अभियुक्तगण अरविन्द सिंह, राकेश कुमार सिंह, हरिकेश सिंह, उमेश व सर्वेन्द्र कुमार सिंह ने वादी मुकदमा अमृत लाल, राजेन्द्र प्रताप सिह, रीना सिंह, वन्दना सिंह तथा प्रभावती को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया, जो भा0द0सं0 की धारा–323 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**चतुर्थः** यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अरविन्द सिंह, राकेश कुमार सिंह, हरिकेश सिंह, उमेश व सर्वेन्द्र कुमार सिंह ने वादी मुकदमा अमृत लाल को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

**पंचमः**यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर अरविन्द सिंह, राकेश कुमार सिंह, हरिकेश सिंह, उमेश व सर्वेन्द्र कुमार सिंह ने वादी मुकदमा अमृत लाल को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

**सप्तमः**यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अरविन्द सिंह, राकेश कुमार सिंह, हरिकेश सिंह, उमेश व सर्वेन्द्र कुमार सिंह ने वादी मुकदमा अमृत लाल जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

**नवमः**यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अरविन्द सिंह, राकेश कुमार सिंह, हरिकेश सिंह, उमेश व सर्वेन्द्र कुमार सिंह ने वादी मुकदमा अमृत लाल के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 24–04–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 24–04–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127